प्रसाद योजना

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने **तेलंगाना में 'भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थयात्रा सुविधाओं के विकास'** परियोजना की आधारशिला रखी।

- [रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर](#) **में 'तीर्थयात्रा और विरासत बुनियादी ढाँचे का विकास'** नामक एक अन्य परियोजना भी बाद में शामिल की गई।
- इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार के [पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना](#) के तहत मंज़ूरी दी गई है।

मंदिरों की प्रमुख विशेषताएँ:

- **भद्राचलम मंदिरों का समूह:**
    - भद्राचलम के मंदिर को 350 वर्षों से अधिक पुराना बताया जाता है **और यह [रामायण](#) महाकाव्य से संबंधित है।**
    - ऐसा माना जाता है कि **भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास का कुछ समय भद्राचलम मंदिर के पास दंडकारण्य वन** के एक हिस्से **परनासाल नामक गाँव में व्यतीत किया था।**
    - **मंदिरों का यह समूह गोदावरी नदी के बाएँ तट पर स्थित** है।
- **रामप्पा मंदिर:**
    - **भगवान शिव का रामप्पा मंदिर वास्तुकला प्रतिभा का एक आदर्श उदाहरण** है, जिसे **1213 ईस्वी में काकतीय शासकों द्वारा बनाया गया** था और इसे [यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची](#) में शामिल किया गया है।
    - यह विरासत मंदिर प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है तथा पर्यटक सर्किट के बीच उच्च दृश्यता रखता है।

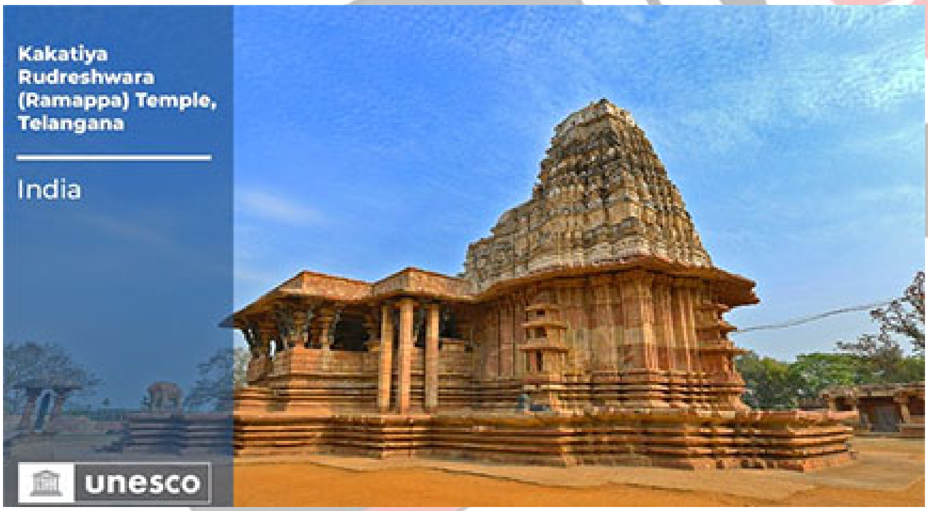

'प्रसाद' (PRASHAD) योजना:

- **परिचय:**
    - **पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15** में चिह्नित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive'- PRASAD)' शुरू किया गया था।
    - अक्तूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर **'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्द्धन अभियान' (National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive- PRASHAD)** राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया।
        - आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की हृदय (HRIDAY) योजना के बंद होने के बाद विरासत स्थलों के विकास को प्रसाद (PRASHAD) योजना में शामिल किया गया।
    - प्रसाद योजना के तहत विकास के लिये **कई धार्मिक शहरों/स्थलों की पहचान की गई है जैसे- अमरावती और श्रीशैलम (आंध्र**

प्रदेश), कामाख्या (असम), परशुराम कुंड (लोहति ज़िला, अरुणाचल प्रदेश), पटना और गया (बिहार) आदि।

- **कार्यान्वयन एजेंसी:**
  - इस योजना के तहत चिह्नित परियोजनाओं को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा**चिह्नित एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा**।
- **वित्तपोषण तंत्र:**
  - केंद्र सरकार सार्वजनिक वित्तपोषण के लिये शुरू किये गए परियोजना घटकों हेतु 100% वित्तपोषण प्रदान करती है।
    - यह योजना इसके अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं की बेहतर स्थिरता के लिये **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR)** और **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** के लिये उपलब्ध स्वैच्छिक धन का लाभ उठाने का प्रयास करती है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prashad-scheme-1